क्रम-संख्या—57

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 30 मार्च, 2022

चैत्र 9, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–4

संख्या 107 / 52-4–2022-13(एच0)-2017

लखनऊ, 30 मार्च, 2022

अधिसूचना

प0आ0–58

चूँकि उत्तर प्रदेश गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 (ख) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना संख्या–एम0–52 / 52-4–2021-13(एच0)-2017, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 में अधिसूचित उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों ने द हज कमेटी ऐक्ट, 2002 (ऐक्ट संख्या 35 सन् 2002) की धारा 21 के अधीन दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को अपरान्ह 04.00 बजे बापू भवन के चतुर्थ तल स्थित समाज कल्याण सभाकक्ष, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में आयोजित उक्त समिति की बैठक में श्री मोहसिन रजा, मा0 सदस्य विधान परिषद को उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया है।

2–अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री मोहसिन रजा, मा0 सदस्य विधान परिषद के निर्वाचन को अधिसूचित करती हैं।

आज्ञा से,

हिमांशु कुमार,

प्रमुख सचिव।